OFFICE OF THE PRINCIPAL

GOVT. LOCHAN PRASAD PANDEY COLLEGE, SARANGARH, DIST.-RAIGARH (C.G.)

Affiliated to Atal Bihari VajpayeeVishwavidyalaya, Bilaspur

Email ID- glppc.dpt@gmail.com Website.-www.glppcollege.in Contact-07768-233306

आचरण संहिता

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आवेगा, किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा।
साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठयेत्तर गतिविधि को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा. अभ्रद व्यवहार या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा.।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों से नम्रता व भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्त्तव्य हैं।
6. महाविद्यालय व छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर– उधर थूकना, दीवालों को गन्दा करना या गन्दी बाते लिखना सख्त मना है।
8. वह अपनी मांगो का प्रदर्शन आन्दोलन, हिन्सा या आतंक फैलाकर नही करेगा, विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दुर रखेगा।

लोचन प्रसाद पाण्डे महाविद्यालय
दिनांक ....

प्राचार्य
शा.लो.प्र.पाण्डे महाविद्यालय
सारंगढ़,जि.रायगढ़(छ.ग.)

अधिकारी / कर्मचारी प्रशिक्षण सत्र 2019–20

396

शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डे महाविद्यालय सारंगढ़

अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर से सम्बद्ध

(शासकीय महाविद्यालय)

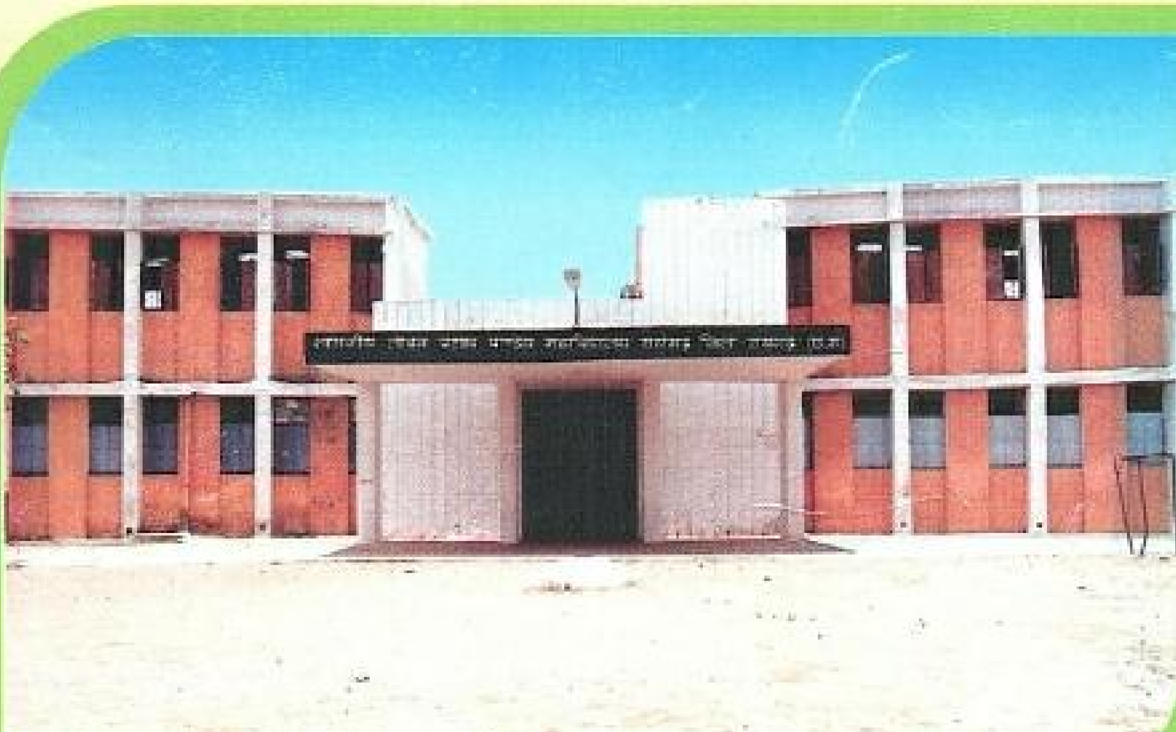

विवरण पुस्तिका

सत्र -

₹ 100

शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डे महाविद्यालय सारंगढ़, जिला - रायगढ़

महाविद्यालयीन परिवार

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची

प्राचार्य–

डॉ. राजेन्द्र सिंह

कला संकाय –

1– डॉ. डी.पी. तिर्की (समाज शास्त्र)
2– श्रीमती पायल लिल्हारे (हिन्दी साहित्य)
3– श्री दिनेश प्रताप सिंह (हिन्दी साहित्य)
4– श्री उसतराम पटेल (भूगोल)

विज्ञान संकाय –

1– श्री लोकेश्वर पटेल (भौतिक शास्त्र)
2– श्रीमती अर्चना घोसले (रसायन शास्त्र)

कार्यालयीन स्टाफ –

1- श्री पी.आर. साहू
2- श्रीमती निवेदिता ठाकुर.
3- श्री एस. के. मैत्री
4- श्री के.के. डहरिया
5- श्री एस. के. आत्मपूज्य
6- श्री आर. एस. कंवर
7- श्री राजेन्द्र थवाईत
8- श्री पंचराम प्रधान
9- श्रीमती चित्रलेखा यादव
10- श्री शैलेन्द्र प्रधान
11- श्रीमती सुषमा प्रधान
12- श्रीमती अनिता सिंह
13- श्री राजेन्द्र कुमार भारती
14- श्री डोमार सिंह वर्मा
15- श्री शशिभूषण पटेल
16- श्री शिवकुमार थवाईत
17- श्री सतीश चंद्र बनज

भाग 1

नवीन शिक्षण सत्र का आरंभ

नवीन शिक्षण सत्र 2019-20 दिनांक 05 जून 2019 से प्रारंभ होगा

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालओं में विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता

सामान्य नियम-

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यायल के नियमों का अक्षरश: पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेश-भूषा में महाविद्यालय आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेश-भूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पठ्योत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली-गलौज या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी प्रकार के मादक प्रदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में ईधर-उधर थुकना, दिवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सक्त मना है। विद्यार्थी असमाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आंतक फैलाकर नही करेगा। विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा। तथा अपनी माँगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों कार्यकर्त्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित है।

अध्ययन संबंधी नियम-

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ-सुथरा रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा। उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य समक्ष शांति पूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों प्रयोगशालाओं या वाचनालयों में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रीक फिटिंग आदि का तोड़-फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम :-

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परिक्षाओं त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थता वश आंतरिक परिक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सालय से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

4- स्नातकोत्तर कक्षाओं के नियमित विद्यार्थियों के लिये सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दी गयी है।

महाविद्यालय का अधिकार क्षेत्र

1. यदि छात्र किसी अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिशेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर 5 साल तक कारावास की सजा या 5000 रू. जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काटा दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा। तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और वह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख होगा।

(क) प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांत

1. प्रयुक्ति

ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/ अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्र. 6 व 7 के प्रावधानों के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

2. प्रवेश की तिथि-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना-

महाविद्यालय में प्रवेश के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किए जावेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावेंगे।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना-

स्थानातंरण प्रकरण छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रतिवर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन, जो भी पहले हो, मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के दौरान प्रवेश दिया जावे किन्तु कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने पर ही दिया जायेगा।

परिचय पत्र

प्रत्येक नियमित छात्र को महाविद्यालय का परिचय पत्र बनवाना अनिवार्य होगा। सभी छात्रों से अपेक्षा है कि प्रतिदिन परिचय पत्र लेकर महाविद्यालय आयेंगे।

रेडक्रास सोसायटी

छत्तीसगढ़ राज्य रेडक्रास सोसायटी से सम्बद्ध महाविद्यालय में रेडक्रास सोसायटी संचलित है। जिसमें सभी छात्रों की सदस्यता अनिवार्य है। इस सोसायटी के माध्यम से अनान्य सेवा कार्य संपादित किये जाते है।

सायकल स्टैड /पार्किग सुविधा

महाविद्यालय परिसर में पार्किग की सुविधा है। सभी छात्रों को अपनी सायकल एवं अन्य वाहनों को सायकल स्टैंड पर रखना अनिवार्य है।

स्वास्थ्य परीक्षण

नियत तिथि को पंजीकृत चिकित्सक द्वारा छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा।

भाग 4

महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त अन्य विशिष्ट सुविधाएं एवं कार्यक्रम:

रैगिंग विरोधी प्रकोष्ठ-

महाविद्यालय परिसर में रैगिंग की प्रथा रोकने के लिए विशेष परिनियम-

1. यह विश्वविद्यालय और संबंद्ध महाविद्यालय परिसर से रैगिंग की कुप्रथा समाप्त करने के लिए स्थापित किया जा रहा है।
2. इस परिनियम में निहित अनुदेश विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय परिवार और संबंद्ध छात्रावास परिसर में होने वाली किसी घटना के लिए लांगू होंगे। परिसर के बाहर की घटनाओं के लिए यह परिनियम प्रभावशील नहीं होगी।
3. रैगिंग में निम्नलिखित अथवा इनमें से एक व्यवहार अथवा कार्य शामिल होगा-
   - /1/ शारीरिक आघात जैसे चोंट पहुंचाना, चाटा मारना, पीटना, अथवा कोई दंड देना।
   - /2/ मानसिक आघात जैसे मानसिक क्लेश पहुंचाना,छेड़ना, अपमानित करना, डांटना आदि।
   - /3/ अश्लील अपमान जैसे असभ्य चुटकुले सुनाना असभ्य व्यवहार करना अथवा ऐसा करने के लिए बाध्य करना।
   - /4/ सहपाठियों, साथियों या पूर्व छात्रों अथवा बाहरी असमाजिक तत्वों के द्वारा अनियंत्रित व्यवहार जैसे हुल्लड़, मचाना, चीखना, चिल्लाना आदि।
4. ऐसे किसी घटना की जानकारी प्राप्त होने पर अथवा ऐसी किसी घटना का अवलोकन करने पर महाविद्यालय के प्राचार्य को अथवा विश्वविद्यालय के कुलपति को कोई भी विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी अभिभावक या कोई नागरीक अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। ऐसी शिकायत को प्राचार्य महाविद्यालय और कुलपति विश्वविद्यालयों में गठित प्रॉक्टोरीयल बोर्ड को सौपेंगे। इस बोर्ड में चार वरिष्ठ शिक्षक, दो वरिष्ठ विद्यार्थी और दो अभिभावक सदस्य के रूप में प्राचार्य / कुलपति द्वारा मनोनीत किये जायेगें। इस हेतु प्राक्टोरियल बोर्ड की विशेष बैठक आहुत की जायेगी। बैठक की सूचना बोर्ड में मनोनित वरिष्ठ प्राध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को दी जावेगी। वरिष्ठतम प्राध्यापक मुख्य प्रॉक्टर कहलायेगें।
5. प्रॉक्टोरियल बोर्ड प्रकरण की छानबीन करेगा और अपनी अनुशंसा महाविद्यालय के प्राचार्य/ विश्वविद्यालय के कुलपति को देगा।

6. प्रॉक्टोरियल बोर्ड की अनुशंसा पर महाविद्यालय के प्राचार्य / विश्वविद्यालय के कुलपति आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेंगे। दोषी पाये जरने पर संबंधित छात्र को निम्नानुसार दंड दिया जा सकेगा-

/1/ महाविद्यालय से एक या दो वर्ष के लिये निष्कासन।

/2/ राज्य के किसी भी महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय में दो वर्ष तक प्रवेश पर रोक।

/3/ दोषी छात्र को दंड के विरूद्ध अपील करने का अधिकार होगा। यह अपील महाविद्यालय के प्राचार्य / विश्वविद्यालय के कुलपति को संबोधित होगा।

/4/ महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रॉक्टोरियल बोर्ड की ऐसी किसी भी घटना को विस्तृत जांच संस्थित करने का पुर्ण अधिकार होगा और इस हेतु उच्च स्तर से स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होगा लेकिन की गई कार्यवाही की सूचना राज्य शासन को देना अनिवार्य होगा।

/5/ कोई भी न्यायालय (उच्च न्यायलय को छोड़कर) इस प्रकार की कार्यवाही में प्राचार्य कुलपति की सहमति के बिना हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा।

/6/ यदि रैंगिंग का कृत्य किसी पूर्व छात्र अथवा अछात्र द्वारा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस को सुपुर्द करने का अधिकार प्राचार्य / विश्वविद्यालय के कुलपति को होगा। इनकी शिकायत पर पुलिस को दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना और एफ.आई.आर. दर्ज करना आवश्यक होगा।

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताडना का प्रतिबंध अधिनियमः –

राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उनसे संबंधित मामलों और अनुसांगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियम–

परिभाषाः

(क) रैगिंग से अभिप्राय किसी छात्र का मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार के उत्प्रेरित बाध्य अभिदर्शित होता हो तो या किन्ही विधिपूर्ण कार्य करने से प्रविस्त करना आपराधिक दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध या उसे क्षति पहुंचाना या उस पर आपराधिक,धमकी दोषपूर्ण अवरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना।

(ख) शैक्षणिक संस्था से अभिप्राय है राज्य की कोई भी शासकीय अथवा अशासकीय शैक्षणिक संस्था।

रैगिंग का प्रतिषेधः

1. किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।
2. यदि कोई व्यक्ति धारा-3 के उपबंधो का उल्लंघन करता है तो या तो कारावास से जो 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी या जुर्माने से जो 5 हजार रूपये से अधिक नहीं होगा या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
3. इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध की विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
4. (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध की विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
   (2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपराधों के अन्वेषण,जांच एवं विचारण में अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र.2 सन् 1974) के उपबंध लागू होंगे।

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2002

क्रमांक/455/21-अ (प्रारूपण)/2002-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिरोध अधिनियम,2001 (क्र.27 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार के एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
टी.सी.यदु अतिरिक्त सचिव

अनुशासन व्यवस्था एवं प्रॉक्टोरियल बोर्ड –

अनुशासन व्यवस्था और अनुशासनहीनता के ममलों की जांच एवं निर्णय के लिए प्रॉक्टोरिलय बोर्ड का गठन किया गया है।

प्रपत्र:1 (नियम 7 तथा 11 देखिये)

शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डे महाविद्यालय सारंगढ़, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

राष्ट्रीय केडेट कोर सीनियर डिवीजन भरती फार्म

1. आपका नाम क्या है? (स्पष्ट अक्षरों में) : ------------------------------------
2. आपके पिता/अभिभावक का नाम तथा पता क्या है? : ------------------------------------
3. क्या आप भारत के नागरिक है या नेपाल की प्रजा है? : ------------------------------------
4. आपके ग्राम,तहसील या तालुका तथा जिला कौन सा है? : ------------------------------------

   ग्राम : ------------------------------------

   तहसील या तालुका : ------------------------------------

   जिला : ------------------------------------
5. आपका डाकघर कौन सा है? : ------------------------------------
6. आपका रेल्वे स्टेशन कौन सा है? : ------------------------------------
7. आपकी शैक्षणिक अर्हतायें क्या है? : ------------------------------------
8. आपकी आयु क्या है? : ------------------------------------
9. क्या आप कभी किसी दण्डिक न्यायलय द्वारा सिद्ध दोष ठहरायें गये है? यदि हाँ तो किन परिस्थियों में, और क्या सजा दी गई थी? : ------------------------------------
10. अब आप किस महाविद्यालय में अध्ययन कर रहें है? : ------------------------------------
11. क्या आप राष्ट्रीय केडेट कोर अधिनियम, 1948 के अधीन भर्ती होने के इच्छुक है? : ------------------------------------
12. आप किस युनिट में भर्ती होना चाहते है? : ------------------------------------
13. क्या अधिनियम में विनिर्दिष्ट तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार प्रशिक्षण सेवा में जाने के इच्छुक है? : ------------------------------------
14. क्या अधिनियम में उपबन्धित किये अनुसार कार्ययुक्त होने तक राष्ट्रीय केडेट कोर में सेवा करने के इच्छुक है? : ------------------------------------
15. क्या आपने अधिनियम के अधीन भरती के लिए पहले कभी आवेदन किया है, यदि हां,तो उसका परिणाम क्या रहा? : ------------------------------------
16. क्या आप राष्ट्रीय केडेट कोर प्रादेशिक सेना या भारतीय सशस्त्र बल में बर्खास्त किये गये? : ------------------------------------
17. आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? : ------------------------------------

आवेदक के हस्ताक्षर

भरती के लिए स्वीकृति मिलने पर घोंषण

मै निष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि इस फार्म में प्रश्नों के मेरे द्वारा दिये गये उत्तर सही है और उनका कोई भी अंश मिथ्या नहीं है, और यह कि मै किये गये वचनबद्ध को पूरा करने की इच्छुक हूं।

मै ------------------------ वचन देता/देती हूं कि मै ईमानदारी और निष्ठापूर्वक अपने राष्ट्र की सेवा करूंगा तथा राष्ट्रीय केडेट कोर के नियमों तथा विनियमों का पालन करूंगा/करूंगी और यह कि मै अपने सर्वोत्तम सामर्थ्य के अनुसार ऐसी परेडों और शिविरों में उपस्थिति रहूंगा/रहूंगी, जिनमें उपस्थित होने के लिए मेरे कमान अधिकारी द्वारा मुझसे अपेक्षा की जाये।

मै ------------------------ आगे यह वचन देता/देती हूं कि भरती के बाद मै प्रशिक्षण शिविरों/पाठ्यक्रमों तथा यात्रा के दौरान दुर्घटना के कारण चोट लगने या मृत्यु होने की स्थिति में किसी मुआवजे के लिए अधिकारियों पर कोर्ट दावा नहीं करूंगा/करूंगी। मै समझता/समझती हूं कि मुझ पर सेवा संबंधी कोई दायित्व नहीं है।

आवेदक के हस्ताक्षर

केवल अवयस्को के लिए

मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि इस फार्म में दिये गये उत्तर सही है और उनका कोई भी अंश मिथ्या नहीं है, और यह कि मेरी पुत्र/पुत्री/प्रतिपाल्या किये गये वचनबद्ध को पूरा करने की इच्छुक हूं।

मै ------------------------ वचन देता/देती हूं कि मेरी पुत्र/पुत्री/प्रतिपाल्या की भरती के बाद मै प्रशिक्षण शिविरों/पाठ्यक्रमों तथा यात्रा के दौरान दुर्घटना के कारण चोट लगने या मृत्यु होने की स्थिति में किसी मुआवजे के लिए प्राधिकारों पर कोर्ट दावा नहीं करूंगा/करूंगी। मै समझता/समझती हूं कि मुझ पर सेवा संबंधी कोई दायित्व नहीं है।

पिता अभिभावक के हस्ताक्षर

दिनांक ....

कार्यालयीन प्रयोग हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक भर्ती की शर्तें समझता है तथा उनसे सहमत है।

हस्ताक्षर

केवल अवयस्को के लिए

केवल अवयस्को के लिए प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक तथा उसके पिता/अभिभावक भर्ती की शर्तें को समझता उनसे सहमत हूँ।

दिनांक ....

प्रभारी के हस्ताक्षर

शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डे महाविद्यालय सारंगढ़, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रवेश वर्ष (2019-20)

पासपोर्ट साईज फोटो लगाईये। (स्वहस्ताक्षरित)

क्र. ....

1. विद्यार्थी का नाम : ---------------------------- रक्त समूह ....
   अ. पिता का नाम : --
   ब. माता का नाम : --
2. पिता का व्यवसाय : ------------------- आमदनी ------------------------------
3. वर्ग : सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. ----------------------------
4. जन्म तिथि : .... आयु ....
5. कक्षा : .... वर्ष .... प्रवेश क्रमांक ....
6. वर्तमान पता : --

   -------------------- फोन ------------------------
7. स्थायी पता : --

   -------------------- फोन ------------------------
8. राष्ट्रीय सेवा योजना में वर्ष : --
9. विविध क्षेत्रों तथा विषयें में रूचि का संक्षिप्त परिचय :

क्र.	विषय	पूर्ण ज्ञान	अपूर्ण ज्ञान	सीखने की विधि
1.	खेलकूद (खेल का नाम)			
2.	पर्यटन			
3.	हस्तकला			
4.	संगीत गायन/वाद्य			
5.	नाट्य कला			
6.	नृत्यकला			
7.	कविता, कहानी आदि			
8.	पाक-कला			
9.	प्राथमिक चिकित्सा			
10.	वाद-विवाद			
11.	अन्य			

मै प्रतिज्ञा करता/करती हूं कि समय-समय पर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा बनाये गये राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई संबंधी नियमों का पालन करूंगा/करूगी।

दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर

- -

(कार्यालयीन उपयोग के लिए)

1. प्रवेश की तिथि .... रजिस्ट्रेशन क्रमांक ....
2. निरस्त करने का कारण ....

प्राचार्य

कार्यक्रम अधिकारी के हस्ताक्षर